

INDIA  
PARTNER

Dabur  
GROUP

अवीवा यंग स्कॉलर एडवांटेज



AVIVA  
| Life Insurance |

इस पॉलिसी में, निवेश पोर्टफोलियो में निवेश जोखिम पॉलिसीधारक द्वारा वहन किया जाता है।

लिंकड बीमा उत्पाद अनुबंध के पहले पांच वर्षों के दौरान कोई नकदी प्रस्तुत नहीं करते हैं। पॉलिसीधारक पांचवे वर्ष के अंत तक लिंकड बीमा उत्पादों में निवेश की गई रकम सम्पूर्ण या आंशिक रूप से समर्पण/वापस नहीं ले सकते।



**अवीवा यंग स्कॉलर एडवांटेज – आपके बच्चे की सुरक्षित भविष्य के लिए एक यूनिट – लिंकड नॉन पार्टिसिपेटिंग बचत अभिविन्नरत योजना!**

अवीवा यंग स्कॉलर एडवांटेज एक यूनिट-लिंकड नॉन पार्टिसिपेटिंग नियमित किस्त भुगतान योजना है, जिसे एक माता/पिता के रूप में आपकी विशेष जरूरतों को ध्यान में रख कर बनाया गया है।

माता/पिता होने के नाते, आप अच्छी शिक्षा के महत्व के बारे में पूरी तरह से अवगत हैं। एक अच्छी शिक्षा एक जवान व्यक्ति को वयस्कों की उनिया में अपना मार्ग प्रशंसन करने में काफी मदद करती है। दुर्भाग्यपूर्ण, गुणवत्ता शिक्षा की लागत, विशेष रूप से उच्चवर शिक्षा की लागत एक बोझ हो सकती है। इसलिए आपके अपने बच्चे की भविष्य के लिए पहले से ही योजना बनाने की आवश्यकता है। यह योजना आपको धन शुरू करने में सहायता करेगी जिसकी आवश्यकता आपके बच्चे को अपने जीवन के महत्वपूर्ण पड़ावों पर होगी और ये योजना यह भी सुनिश्चित करता है कि आपने पर आपके बच्चे की शिक्षा के लिए धन उपलब्ध हो।

इस उत्पाद की विशेष रूप से नियमित लाभ संरचना आपको मृत्यु पर समर्पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। यह लाभ आपको एक सरल और प्रतिस्पर्धात्मक शुल्क संरचना के साथ मिलता है जो सुनिश्चित करता है कि आपको श्रेणी की सर्वोत्तम निवेश रिटर्न मिले।

**अवीवा यंग स्कॉलर एडवांटेज – अन्योन्ये आकर्षण**

#### • विस्तृत सुरक्षा:

विशेष रूप से नियमित मृत्यु लाभ जो आपके दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु पर आपके बच्चे की पूरी सुरक्षा प्रदान करता है।

- मृत्यु पर आश्वस्त रकम का भुगतान – तत्कालिक आंशिक समस्याओं को संबोधित करने के लिए।
- आपके फंड में भविष्य के सभी किस्तों (एकमूल रकम के रूप में) का भुगतान – यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके न रहने पर भी आपने जिस-जिस रकम की योजना बनाई थी, वह आपके बच्चे के लिए उपलब्ध हो।
- पॉलिसी को मैचुरिटी तक जारी रखना जिसमें आपके बच्चे के लिए सभी निवेशों के लाभ बने रहेंगे।

इसलिए, यह योजना आपके बच्चे को आपकी योजना के अनुसार भविष्य निर्माण करने में मदत करता है।

#### • निवेशों के आकर्षक रिटर्न:

निवेश के साथ आकर्षक निवेश रिटर्न पाएँ:

- आपके निवेश उद्देश्य के आधार पर 7 यूनिट-लिंकड फंड – बैलैंस्ड फंड-II, बॉंड फंड-II, एनएस-एस फंड-II, ग्रोथ फंड-II, इफ्फास्ट्रक्चर फंड, पीएसयू फंड, और प्रोटेक्टर फंड-II में से चुनने का विकल्प और सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान (STP) तथा ऑटोमैटिक असेट अलोकेशन (AAA) और सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान (STP) चुनने का विकल्प है।
- उच्च आवंटन किस्तों में 98% आवंटन
- उच्च आवंटन तथा एक प्रतिस्पर्धात्मक शुल्क संरचना; और
- फंड मूल्य बढ़ाने के लिए लोयालटी अडिशन्स

#### • अधिक सुविधाः

- 5 वर्षों के बाद आंशिक रूप से मुफ्त में रकम निकालने की सुविधा के माध्यम से आसान नकद प्राप्ति।

#### अवीवा यंग स्कॉलर एडवांटेज – पात्रता

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| प्रवेश आय<br>(पिछला जन्मदिन)     | माता/पिता (बीमित व्यक्ति): – 21 – 45 वर्ष बच्चा (नामांकित (लाभार्थी)): – 0 – 17 वर्ष  |
| पॉलिसी की अवधि (पीटी)            | 10–25 वर्ष, अधिकतम मैचुरिटी आयु 60 वर्ष के अधीन   |
| किस्तों के भुगतान की अवधि (पीटी) | पॉलिसी की अवधि के समान  |
| वार्षिक किस्त                    | न्यूनतम ₹50,000 अधिकतम: अंडरराइटिंग के अधीन काई ई सीमा नहीं   |
| आश्वस्त रकम (एसए)                | अधिकतम / न्यूनतम आश्वस्त रकम: 0.5 x पॉलिसी की अवधि x वार्षिक किस्त या 10 x वार्षिक किस्त, जो भी अधिक हो   |
| टॉप-अप किस्त                     | न्यूनतम: ₹5000 अधिकतम: कुल टॉप-अप किस्त जो अंडरराइटिंग के अधीन भुगतान की गई किस्त से अधिक न हो  |
| टॉप-अप आश्वस्त रकम               | 1.25 x टॉप-अप किस्त   |
| किस्त आवृत्ति                    | वार्षिक   |
| छूट की अवधि                      | अपनी किस्त अदा करने के लिए 30 दिनों की छूट की अवधि है। छूट की अवधि के दौरान पॉलिसी परिषिक्त की साथ रहेंगे। कृपया ध्यान दें कि यह उत्पाद केवल उन लोगों को दी जाएगी जिनका कम से कम एक बच्चा है। |

कृपया ध्यान दें कि यह उत्पाद केवल उन लोगों को दी जाएगी जिनका कम से कम एक बच्चा है।

#### अवीवा यंग स्कॉलर एडवांटेज – आपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए 4 आसान चरण

**चरण 1:** धन संग्रह का निर्णय लें, जो आप अपने बच्चे की भविष्य के लिए प्रदान करना चाहते हैं और यह प्रदान करने के लिए समय का निर्णय लें। इन सवालों का जवाब पॉलिसी की अवधि और उस किस्त पर असर डालेगा जो आप भुगतान करेंगे।

**चरण 2:** मनवाहा सुरक्षा स्तर चुनें। यह आपके द्वारा चुनी गई आश्वस्त रकम स्तर में प्रदर्शित होगी।

**चरण 3:** मनवाहा सुरक्षा स्तर चुनें। यह आपके द्वारा चुनी गई आश्वस्त रकम स्तर में प्रदर्शित होगी।

**चरण 4:** फंड का चुनाव करें जिसमें आप निवेश करना चाहते हैं। निवेश के लिए आपको उपलब्ध फंड हैं बैलैंस्ड फंड-II, बॉंड फंड-II, एनएस-एस फंड-II, ग्रोथ फंड-II, इफ्फास्ट्रक्चर फंड, पीएसयू फंड, और प्रोटेक्टर फंड-II। आपके पास ऑटोमैटिक असेट अलोकेशन (AAA) और सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान (STP) चुनने का विकल्प है। विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया निवेश विकल्प देखें।

#### अवीवा यंग स्कॉलर एडवांटेज – लाभ

**मृत्यु लाभ:** पॉलिसी की अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में और इस शर्त के अधीन कि सभी देय किस्तों का भुगतान किया गया हो:

- नामांकित व्यक्ति (लाभार्थी) या यदि नामांकित व्यक्ति (लाभार्थी) नाबालिग है, तो नियुक्त व्यक्ति को टॉप-अप आश्वस्त रकम, यदि हो, के साथ मूल आश्वस्त रकम या भुगतान की गई किस्तों का 105% रकम, करों को छोड़कर, का तत्काल भुगतान किया जाएगा।

- भविष्य के सभी किस्त, यदि हो, का अधित्याग होगा और आखरी बार भुगतान की गई किस्त की आधार पर आपके फंड में भुगतान (एकमूल रकम के रूप में) की जाएगी। एकमूल रकम को विभिन्न फंड में समान आवंटन अनुपात में निवेश किया जाएगा जो आपकी मृत्यु की सूचना की तिथि से पहले लागू थी। मृत्यु की तिथि को लागू एनवी का इस्तेमाल ऐसी इकाइयों के निवेश के लिए किया जाएगा।

**बीमित व्यक्ति की दुर्घटनात्मक मृत्यु** के मामले में, यदि हाँ दुर्घटना का अर्थ है कि किसी बाहरी, विजिल और आकाशक साधन से घटित एक अचानक, अप्रत्याशित और अनीक्षित घटना, यदि मृत्यु की तिथि को बीमित व्यक्ति की आयु 60 साल (पिछला जन्मदिन) से अधिक नहीं है, तो उपर उल्लिखित मृत्यु लाभ के साथ दुर्घटनात्मक मृत्यु आश्वस्त रकम है जो अधिकतम ₹50,000 लाभ हो सकती है, जिसमें सभी विद्यमान पॉलिसियों के अधीन दुर्घटनात्मक मृत्यु कवर शामिल है।

पॉलिसी धारक, अर्थात् बीमित व्यक्ति की मृत्यु के बाद पॉलिसी का कोई भी अधिकार या तो नियुक्त व्यक्ति या नामांकित व्यक्ति (लाभार्थी) को अंतरित नहीं किया जाएगा और पॉलिसी मैचुरिटी की तिथि तक जारी रहेगी और मैचुरिटी की तिथि को फंड मूल्य का भुगतान करके पॉलिसी समाप्त कर दी जाएगी।

बीमित व्यक्ति से पहले नामांकित व्यक्ति (लाभार्थी) के दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में :

- दूसरा बच्चा, यदि हो, नया नामांकित (लाभार्थी) होगा।
- कोई दूसरा बच्चा न होने के मामले में, नया नामांकित (लाभार्थी) वह हो सकता है जिसका बीमायोग्य हित मौजूद है।

पॉलिसी धारण द्वारा नियुक्त नए नामांकित (लाभार्थी) के लिए पॉलिसी जारी रहेगी।

बीमित व्यक्ति की मृत्यु के बाद, नामांकित (लाभार्थी) की मृत्यु होने के मामले में, पॉलिसी समाप्त हो जाएगी और समाप्ति की तिथि को जीवित कानूनी उत्तराधिकारी को फंड मूल्य देय होगा।

यदि एक पॉलिसी को रोका जाता है, कंपनी छोटी की अवधि समाप्त होने की तिथि से 15 दिनों की अवधि के अंतर्गत पॉलिसी धारक को ऐसी सूचना मिलने से 30 दिनों की अवधि के अंतर्गत पॉलिसी रिवाइब करने की सूचना भेजेगी। इस अवधि के दौरान पॉलिसी को पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार सम्पूर्ण जोखिम करके कासथ पूर्णतया प्रभावकारी समझा जाएगा और इस अवधि के दौरान ऊपर उल्लिखित मृत्यु लाभ देय होगा।

बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर प्रदत्त पॉलिसी के लिए, निम्नलिखित मृत्यु लाभ देय होगा:

- प्रदत्त आश्वस्त रकम या भुगतान की गई किस्तों का 105%, जो अधिक हो, और
- ख. टॉप-अप आश्वस्त रकम या भुगतान की गई टॉप-अप किस्तों का 105%, जो अधिक हो।

प्रदत्त आश्वस्त रकम = आश्वस्त रकम X भुगतान की गई नियमित किस्तों की संख्या/देय नियमित किस्तों की कुल संख्या

बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में जब पॉलिसी प्रदत्त रिस्ति में हो तब भविष्य के किस्तों का अधित्याग नहीं होगा।

अतिरिक्त लोयालिटी: पॉलिसी की अवधि के दौरान समय के भिन्न अवधियों में फंड मूल्य में अतिरिक्त लोयालिटी रकम जोड़ा जाता है।

यदि आप इस पॉलिसी को जारी रखते हैं और सभी देय किस्तों का भुगतान करना जारी रखते हैं, तो हम फंड मूल्य से संबंधित लोयालिटी रकम प्रदान करेंगे। अतिरिक्त लोयालिटी की रकम नियमित किस्त से संबंधित फंड मूल्य का निश्चित % होगी, जैसा नीचे दिया गया है:

| पॉलिसी वर्ष                  | अतिरिक्त लोयालिटी, नियमित किस्त से संबंधित इकाई मूल्यों (फंड मूल्य) के % के रूप में |
|------------------------------|---|
| 10 वे पॉलिसी वर्ष के अंत में | 1.00%   |
| 15 वे पॉलिसी वर्ष के अंत में | 3.00%   |
| 20 वे पॉलिसी वर्ष के अंत में | 4.00%   |
| 25 वे पॉलिसी वर्ष के अंत में | 5.00%   |

इस अतिरिक्त रकम की गणना, प्रारंभिक पॉलिसी वर्ष के अंत में मौजूद इकाइयों के संबंध में की जाएगी। अतिरिक्त लोयालिटी रकम की गारंटी होती है और एक बार आवंटित होने के बाद यह जुड़ा रहेगा और सभी घटनाओं के तहत देय होगा।

बीमित व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी अतिरिक्त लोयालिटी रकम जोड़ा जाएगा।

टॉप-अप किस्त, यदि हो, से संबंधित इकाई उपरोक्त अतिरिक्त लोयालिटी रकम के पात्र नहीं है।

मैचुरिटी लाभ: मैचुरिटी पर, मैचुरिटी तिथि को नियमित किस्त और टॉप-अप किस्त, यदि हो, से संबंधित इकाइयों का मूल्य देय है।

30 वर्ष के पुरुष के लिए, मैचुरिटी मूल्य प्रक्षेपित किया गया है, जो वार्षिक किस्त देता है और 100% रकम एहान्सर फंड-|| में निवेश करता है।

| वार्षिक किस्त (₹ में) | आश्वस्त रकम (₹ में) | पॉलिसी की अवधि (वर्षों में) | निवेश के कुल रिटर्न (%) | मैचुरिटी पर प्रक्षेपित फंड मूल्य (₹ में) | शुल्कों की कुल रकम (%) |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------|
| 50,000                | 5,00,000            | 15                          | 4%                      | 8,24,298                                 | 1.17%                  |
|                       |                     | 8%                          | 1,150,479               | 5.18%                                    |                        |
|                       |                     | 20                          | 4%                      | 1,189,478                                | 1.62%                  |
|                       |                     | 8%                          | 1,874,750               | 5.66%                                    |                        |
| 1,00,000              | 10,00,000           | 15                          | 4%                      | 1,648,750                                | 1.17%                  |
|                       |                     | 8%                          | 2,301,177               | 5.18%                                    |                        |
|                       |                     | 20                          | 4%                      | 2,379,280                                | 1.63%                  |
|                       |                     | 8%                          | 3,750,074               | 5.67%                                    |                        |
| 2,00,000              | 10,00,000           | 15                          | 4%                      | 3,330,654                                | 1.30%                  |
|                       |                     | 8%                          | 4,643,023               | 5.29%                                    |                        |
|                       |                     | 20                          | 4%                      | 4,812,967                                | 1.73%                  |
|                       |                     | 8%                          | 7,574,836               | 5.75%                                    |                        |

कृपया ध्यान दें:

- उपरोक्त उदाहरण में प्रदर्शित रिटर्न की अनुमानित दर की गारंटी नहीं दी जाती है और यह आपको मिलने वाले रिटर्न की उपरी या निचली सीमा नहीं है क्योंकि आपकी पॉलिसी कई कार्यों पर निर्भर करती है जिसमें भविष्य में निवेशन का प्रदर्शन भी शामिल है।
- करों में वस्तु एवं सेवा कर, उपकर शामिल है लेकिन इन तक सीमित नहीं है और सरकार द्वारा समय-समय पर प्राप्त सूचना के अनुसार ये प्रयोग्य कर लागू किए जाएंगे। कर की विधियां परिवर्तन के अधीन हैं।

#### विरति एवं सम्पूर्ण रूप से वापसी:

पहले 5 वर्षों के दौरान पॉलिसी में विरति लाना:

5 वर्षों की लॉक-इन अवधि के दौरान पॉलिसी में विरति लाने पर, पॉलिसी के अधीन जोखिम कवर तकाल रुक जाएगा। वापसी की तिथि की फंड मूल्य से लागू विरति शुल्क कानून के बाद डिस्कंटिन्यूड पॉलिसी फंड में जमा कर दी जाएगी और लॉक-इन अवधि के अंत होने पर वापस कर दिया जाएगा। ऐसी अवधि के दौरान, आपका फंड आय अर्जित करता रहेगा। ऐसी डिस्कंटिन्यूड पॉलिसी की आमदनी, मृत्यु/रिवाइबल/समर्पण, जैसा लागू हो, पर देय डिस्कंटिन्यूड पॉलिसी फंड (जैसा संलग्नक में परिभाषित है) की फंड मूल्य के समान होगी। डिस्कंटिन्यूड पॉलिसी फंड पर लागू न्यूनतम गारंटीड व्याज दर 4% प्रति वर्ष होगी या आईआरडीएआई द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी।

पॉलिसी के 5 वर्षों के बाद पूर्ण रूप से वापसी:

5 वर्षों की लॉक-इन अवधि के बाद सम्पूर्ण वापसी पर, नियमित किस्त और टॉप-अप किस्त, यदि हो, से संबंधित फंड मूल्य आपको दी जाएगी और और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

#### आंशिक रूप से रकम निकालना:

यह योजना आपकी नकद की समस्याओं का समाधान करता है, आपकी पॉलिसी की सम्पूर्ण वापसी के बिना आपको अपने फंड से ऐसे निकालने की अनुमति देता है। आप एक पॉलिसी वर्ष में 4 बार आंशिक रकम निकाल सकते हैं, जिसमें रकम निकालने की न्यूनतम राशि ₹ 5000 हो। पहले टॉप-अप किस्त से संबंधित फंड मूल्य से आंशिक रकम निकालने की अनुमति होगी और उसके बाद नियमित किस्त से संबंधित फंड मूल्य से।

टॉप-अप किस्त से संबंधित फंड मूल्य से टॉप-अप किस्त भुगतान की तिथि से 5 वर्षों के बाद आंशिक रकम निकालने की अनुमति है। नियमित किस्त से संबंधित फंड मूल्य से 5 पॉलिसी वर्षों के बाद आंशिक रकम निकालने की अनुमति है।

आंशिक रकम निकालने के बाद न्यूनतम शेष राशि प्रथम वर्ष के वार्षिक किस्त के दुगने रकम से कम नहीं होनी चाहिए।

नियमित किस्त/टॉप-अप किस्त से संबंधित इकाइयों से आंशिक रकम निकालने पर आश्वस्त रकम में कोई बदलाव नहीं होगा।

ध्यान दें: आखरी 2 पॉलिसी वर्षों के अलावा, नियमित किस्त से संबंधित फंड मूल्य से आंशिक रकम निकालने की अनुमति होगी, जो उस पॉलिसी वर्ष के आस्पत्य में मौजूद नियमित किस्त से संबंधित फंड मूल्य के अधिकतम 25% रकम के समान हो सकती है, जिसमें आंशिक रकम निकाला जा रहा है।

#### सिस्टमैटिक पार्श्वयन विशद्धावल

पॉलिसी धारक को पहले पांच पॉलिसी वर्ष पूर्ण होने के बाद, किन्तु मैचुरिटी से पहले आखरी 3 पॉलिसी वर्षों को छोड़कर पॉलिसी की अवधि के बाद निकाल कभी भी सिस्टमैटिक पार्श्वयन

विथड्डावल विकल्प चुनने का अवसर प्राप्त है। इस विकल्प के अधीन, सिस्टमैटिक पार्शियल विथड्डावल के समय नियमित किस्त से संबंधित फंड मूल्य का एक शिर प्रतिशत पॉलिसी धारक को उसके इकाई खाते से संबंधित भुगतान के रूप में देय होगा, बशर्ते:

- इस विकल्प का उपयोग करने के लिए, सिस्टमैटिक पार्शियल विथड्डावल आरम्भ होने वाले महीने से कम से कम 15 दिनों पहले एक शिर सूचना देना होगा, बशर्ते सिस्टमैटिक पार्शियल विथड्डावल शुरू होने के समय फंड मूल्य कम से कम ₹1,50,000 हो।
- प्रति महीने भुगतान मिलने वाली रकम नियमित किस्त से संबंधित फंड मूल्य के 0.25% से 1% की सीमा में रकम गुणात्मक पॉलिसी धारक द्वारा चुनी गई भुगतान आवृत्ति होनी चाहिए, जो इस विकल्प की शुरुआत में कम से कम ₹15,000 प्रति वर्ष होनी चाहिए।
- भुगतान की अवधि कम से कम 3 वर्ष होनी चाहिए और मैन्युरिटी तक वर्षों की पूर्ण संख्या का चुनाव भी किया जा सकता है। जबकि भुगतान की आवृत्ति को वार्षिक, अर्ध-वार्षिक, तिमासिक और मासिक में से चुना जा सकता है।
- भुगतान के सभी मोंडस के लिए डायरेक्ट डेबिट/ईसीएस उपलब्ध है किन्तु वेक के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा केवल वार्षिक और अर्ध-वार्षिक मोंडस के लिए उपलब्ध है।
- यदि भुगतान की अवधि के दौरान, कभी-भी फंड मूल्य पहले साल के वार्षिकतृत किस्त के द्वारा रकम से कम हो जाती है, तो सिस्टमैटिक पार्शियल विथड्डावल बंद हो जाएगा और मानक नियम और शर्तों के अनुसार पॉलिसी जारी रहेगा।
- भुगतान की अवधि के दौरान, पॉलिसीधारक पर ही निवेशकों का सभी जोखिम बन रहेगा।

पॉलिसी धारक पॉलिसी की अवधि के दौरान किसी भी समय यह विकल्प रोक सकता है। पॉलिसी धारक उपर उल्लिखित शर्तों के अधीन यह विकल्प दुवारा शुरू भी कर सकता है।

#### कर लाभ

विधियाँ प्रचलित कर विधियों के अनुसार हैं। कर विधियाँ परिवर्तन के अधीन हैं।

#### अवीवा यंग स्कॉलर एडवार्टेज – सुरक्षा एवं निवेश के विकल्प

इस योजना के तहत उपलब्ध विकल्प हैं:

##### क. निवेश विकल्पः

- क) निवेश फंड्सः** यह योजना आपको सात में से एक या अधिक यूनिट लिंक्ड फंड्स में निवेश करने की आजादी देती है। आप किसी भी फंड्स में अपना 100% किस्त निवेश कर सकते हैं या कई फंड्स का मेल चुन सकते हैं। एक से अधिक फंड का विकल्प चुने जाने पर, हर एक चयनित फंड में कम से कम 10: न्यूनतम आवंटन होना चाहिए।

| फंड का नाम और उद्देश्य   | परिसंपत्ति का आवंटन                          | जोखिम का विवरण |
|--|--|----------------|
| <b>बैलेंस फंड-II [SFIN: ULIF01508/01/2010LIBALAN-II122]:</b> पूँजीगत वृद्धि और शिर रिटर्न्स के मध्य एक अनुलून बनाने के लिए।                | ऋण एमएम इकिवटी (25%-100%) (0%-40%) (0%-45%)  | मध्यम          |
| <b>बांड फंड-II [SFIN: ULIF01608/01/2010LIFDEBT-II122]:</b> उच्च युग्मवासा रिश्ता आय प्रतिमतियों में निवेशन के माध्यम से शिर प्रतिलाभ पाना। | ऋण एमएम इकिवटी (60%-100%) (0%-40%) (0%)      | निम्न          |
| <b>एनहान्सर फंड-II [SFIN: ULIF01708/01/2010LIFENHN-II122]:</b> उच्च इकिवटी एक्सपोज़र सहित आक्रमण, दीर्घ अवधि पूँजीगत वृद्धि प्रदान करना।   | ऋण एमएम इकिवटी (0%-40%); (0%-40% (60%-100%)) | उच्च           |
| <b>ग्रोथ फंड-II [SFIN: ULIF01808/01/2010LIGROWT-II122]:</b> उच्च इकिवटी एक्सपोज़र के साथ दीर्घ अवधि पूँजीगत अभिमूल्यन बनाना।               | ऋण एमएम इकिवटी (0%-50%) (0%-40%) (30%-85%)   | उच्च           |
| <b>इंफ्रास्ट्रक्चर फंड [SFIN: ULIF01908/01/2010LIFEINFRAF122]:</b> अवसंरचनाओं और संबंधित इकिवटी के निवेश के माध्यम से शिर रिटर्न्स पाना।   | ऋण एमएम इकिवटी (0%-40%) (0%-40%) (60%-100%)  | उच्च           |

|   |   |       |
|---|---|-------|
| <b>प्रोटेक्टर फंड-II [SFIN: ULIF02108/01/2010LIPROTE-II122]:</b> इकिवटी के न्यूनतम एक्सपोज़र के साथ शिर रिटर्न्स पाना।        | ऋण एमएम इकिवटी (25%-100%) (0%-40%) (0%-20%) | निम्न |
| <b>पीएस्यू फंड [SFIN: ULIF02208/01/2010LIFEPSUFND122]:</b> पीएस्यू और संबंधित इकिवटी के निवेश के माध्यम से शिर रिटर्न्स पाना। | ऋण एमएम इकिवटी (0%-40%) (0%-40%) (60%-100%) | उच्च  |

एमएम का अर्थ है पैसा बाजार के लिखत।

डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड में निवेश का स्वरूप: डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड के लिए निवेश का स्वरूप, जिसमें उल्लिखित है, निम्न प्रकार होगा:

| फंड का नाम और उद्देश्य  | संपत्ति का आवंटन                            | जोखिम का विवरण |
|---|---|----------------|
| डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड [SFIN: ULIF03127/01/2011LIDISCPLY122] आईआरीए द्वारा समय-समय पर निवेशित न्यूनतम गारंटी दर प्रदान करना। | MM: 0 से 40% सरकारी प्रतिमूल्य: 60% to 100% | निम्न          |

डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड में लागू व्याज दर की योग्यता आईआरीए द्वारा समय-समय पर निवेश न्यूनतम गारंटी दर के अधीन की जाएगी। डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड में न्यूनतम गारंटी दर से अंतिम अत्यधिक आय को भी डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड में अनुभाजन किया जाएगा।

इस फंड के प्रबंधन का शुल्क 0.50% प्रति वर्ष या आईआरीए द्वारा समय-समय पर जारी दिवास-निवेशों के अनुसार होगा।

कृपया ध्यान दें कि:

- उपरोक्त परिसंपत्ति वर्ग की न्यूनतम तथा अधिकतम सीमा का निर्धारण किया गया है ताकि आपको निवेश के अवसरों के लाभ के साथ-साथ समिलित जोखिम उठाने में फंड में निवेश करने की न्यूनता मिले। यह सातांत्री दी जाती है कि आप अपने निवेश उद्देश्यों और जोखिम के प्रति अपनी प्रतिस्करण के आधार पर फंड्स का चुनाव करें। आदर्श रूप से, आपको सभी फंड्स के मेल का चुनाव करना चाहिए, जिसके कारण विविधकरण होता है और परिणामस्वरूप जोखिम घटते हैं।

**क) सिस्टमैटिक ट्रांस्फर प्लान (STP) :** सिस्टमैटिक ट्रांस्फर प्लान एक ऐसी योजना है, जो आपको इकिवटी बाजार में एक बार में ही अचानक से प्रेवेश के बजाय धीरे-धीरे अलग-अलग समय और अलग-अलग स्तर पर प्रेवेश करने की अनुमति देता है और मैन्युरिटी 2 वर्ष के दौरान फ्रेश बाजार में प्रेवेश करने की अनुमति देता है। इसके परिणामस्वरूप इकिवटी बाजार से जुड़ी जोखिम सामान्य हो जाती है। जिससे आपको सकल जोखिम घट जाती है। हालांकि, इस विकल्प के माध्यम से किंतु एक ग्राहक निवेश अब भी निवेश जोखिमों के अधीन होते हैं, जिसका वहन आपके द्वारा जारी रहेगा। STP की निम्न विशेषताएँ/ शर्तें हैं:

- सिस्टमैटिक ट्रांस्फर प्लान आखरी 2 पॉलिसी वर्षों को छोड़कर पॉलिसी के अवधि के दौरान प्रोटेक्टर फंड-II से एनहान्सर फंड-II। इकाइयों की स्विचिंग की सुविधा प्रदान करती है। आखरी दो पॉलिसी वर्षों के दौरान फंड प्रोटेक्टर फंड-II में वापस चला जाता है।
- सिस्टमैटिक ट्रांस्फर प्लान (STP) विकल्प, पॉलिसी की अवधि के दौरान किंतु आखरी तीन पॉलिसी वर्षों को छोड़कर पॉलिसी की वर्षांगत से कम से कम 30 दिनों पहले एक लिखित सूचना देकर पॉलिसी की वर्षांगत पर उपलब्ध होगा।
- इकिवटी बाजार में रिचिंग के लिए आपके पास एक मासिक या साप्ताहिक एसटीपी में से चुनाव का अवलम्बन है लेकिन मैन्युरिटी पर होने वाली आखरी दो पॉलिसी वर्षों में ऋण बाजार में रिचिंग के लिए आपको अपार्टमेंट पर ही होती है।
- इस विकल्प के अधीन, प्रोटेक्टर फंड-II में इकाइयों की निम्न समाप्ताती इकाई को पॉलिसी के उस वर्ष के दौरान (केवल आखरी दो पॉलिसी वर्षों को छोड़कर) प्रति मह/सप्ताह प्रोटेक्टर फंड-II से एनहान्सर फंड-II में रिचिंग किया जाएगा, जिससे STP विकल्प चुना जा रहा है।

यदि आपने एक मासिक STP का विकल्प चुना है, तो:

| माह 1  | माह 1 के अंत में उपलब्ध इकाई का 1/12वां भाग |
|--------|---|
| माह 2  | माह 2 के अंत में उपलब्ध इकाई का 1/11वां भाग |
| माह 6  | माह 6 के अंत में उपलब्ध इकाई का 1/7वां भाग  |
| माह 11 | माह 11 के अंत में उपलब्ध इकाई का 1/2वां भाग |
| माह 12 | माह 12 के अंत में शेष इकाई उपलब्ध           |

यदि आपने एक साप्ताहिक एसटीपी का विकल्प चुना है, तो:

|           |   |
|-----------|---|
| सप्ताह 1  | सप्ताह 1 के अंत में उपलब्ध इकाई का 1/52वां भाग  |
| सप्ताह 2  | सप्ताह 2 के अंत में उपलब्ध इकाई का 1/51वां भाग  |
| सप्ताह 26 | सप्ताह 26 के अंत में उपलब्ध इकाई का 1/27वां भाग |
| सप्ताह 51 | सप्ताह 51के अंत में उपलब्ध इकाई का 1/2वां भाग   |
| सप्ताह 52 | सप्ताह 52 के अंत में शेष इकाई उपलब्ध            |

- मैचुरिटी से पहले आखरी दो वर्षों (अर्थात् आखरी 24 महीनों) के दौरान, एनहान्सर फंड—II में इकाइयों की निम्न समानुपाती इकाई को एनहान्सर फंड—II से प्रोटेक्टर फंड—II में रिचर्च किया जाएगा:

|        |   |
|--------|---|
| माह 1  | मैचुरिटी से पहले 24 वें माह के आरम्भ में उपलब्ध इकाइयों का 1/24 वां भाग |
| माह 2  | मैचुरिटी से पहले 23 वें माह के आरम्भ में उपलब्ध इकाइयों का 1/23 वां भाग |
| माह 12 | मैचुरिटी से पहले 12 वें माह के आरम्भ में उपलब्ध इकाइयों का 1/13 वां भाग |
| माह 23 | मैचुरिटी से पहले 2 रे माह के आरम्भ में उपलब्ध इकाइयों का 1/1 वां भाग    |
| माह 24 | आखरी माह के आरम्भ में शेष इकाइयों उपलब्ध                                |

- यह विकल्प उपलब्ध है बशर्ते किस्त की कम से कम 10% रकम प्रोटेक्टर फंड—II में आवंटित हो।
- एक पॉलिसी वर्ष में सभी 12/52 स्वचलित रिचर्चेस निःशुल्क होगी।
- सामान्य रिचर्चिंग विकल्प के लिए रिचर्च शुल्क, न्यूनतम स्विच, और रिचर्च के बाद न्यूनतम फंड इत्यादि की शर्तें क्रमबद्ध अंतरण योजना के अधीन की गई स्थीरेस पर लागू नहीं होगी।
- आप पॉलिसी की वर्षगांठ शुरू होने से कम से कम 30 दिनों पहले एक लिखित सूचना देकर पॉलिसी की आगली वर्षगांठ से प्रभावी रूप से स्वचलित रिचर्चिंग रोक सकते हैं।
- आप एनहान्सर फंड—II से प्रोटेक्टर फंड—II में स्वचलित रिचर्चिंग आरम्भ होने से कम से कम 30 दिनों पहले आवेदन देकर इस योजना को दुबारा शुरू कर सकते हैं भले ही अतीत में इस योजना को रोक दिया गया हो। यह योजना केवल पॉलिसी की वर्षगांठ पर ही आरम्भ होगी।
- एनहान्सर फंड—II में रिचर्चिंग के दौरान प्रोटेक्टर फंड—II में या से कोई अन्य रिचर्चिंग की अनुमति नहीं है, तदनुसार, प्रोटेक्टर फंड—II में रिचर्चिंग के दौरान एनहान्सर फंड—II में या से कोई अन्य रिचर्चिंग की अनुमति नहीं है।
- क्रमबद्ध अंतरण योजना स्वचलित परिसंपत्ति आवंटन विकल्प के साथ उपलब्ध नहीं होगी।

- छ) ऑटोमैटिक असेट अलोकेशन (AAA) योजना:** जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, यह विकल्प इविवटी में आपके एक्सपोज़र को स्वचलित घटाने और ऋण में आपका एक्सपोज़र बढ़ाने में आपकी सहायता करता है। यह विकल्प इस तथ्य पर निर्भर करता है कि उम्र बढ़ाने के साथ-साथ जोखिम लेने के प्रति व्यक्ति की इच्छा घटती है और वह अपने निवेशों को लेकर अधिक रोटिवारी होता है। जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, यह विकल्प आपको इविवटी बाजार से प्राप्त रिटर्न का लाभ उठाने और लाभों को स्वचलित परिसंपत्ति आवंटन (संतुलन) के ज़रूरि सुविधा/बुक करने आजादी देती है।

- आप केवल पॉलिसी के शुरूआत में ही AAA का विकल्प चुन सकते हैं, यदि आपकी किस्त आवृत्ति वार्षिक हो तो।
- आरम्भिक आवंटन को एनहान्सर फंड—II या बांड फंड—II में अंतरित करने का विकल्प चुनें। आपने पहले वर्ष की किस्त आपके द्वारा निर्दिष्ट अनुप्राप्त में आवंटित की जाएगी। AAA का विकल्प चुनें जाने पर, किसी अन्य फंड में आवंटन करने की अनुमति नहीं है।
- हर साल के अंत में, आवंटित फंड मूल्य एनहान्सर फंड—II और बांड फंड—II के मध्य रिचर्चिंग के माध्यम से स्वचलित रूप से पुनः विररित हो जाएगी, जिसके लिए निम्न सूत्र का इस्तेमाल किया जाएगा:

$$\text{एनहान्सर फंड—II में आवंटन} = X\% - \frac{X\%}{\text{पॉलिसी की अवधि}} * (Z - Y)$$

- जहाँ X% एनहान्सर फंड—II में आरम्भिक आवंटन है, और Y = AAA का विकल्प चुनते समय आपकी आयु है और Z = आपकी वर्तमान आयु है। शेष बांड फंड—II में आवंटित होगा।
- न्यूनतम रिचर्च रकम और रिचर्च के बाद न्यूनतम शेष राशि के प्रतिबन्ध AAA के अधीन रिचर्चिंग के पर लागू नहीं है।
- भविष्य की किस्तें भी उपरोक्त सूत्र के अनुसार प्रति वर्ष एनहान्सर फंड—II और बांड फंड—II में आवंटित होंगी।

- AAA के संचालन की अवधि के दौरान बांड फंड—II और एनहान्सर फंड—II में या से कोई अन्य रिचर्च करने की अनुमति नहीं है।
- AAA को पॉलिसी की वर्षगांठ से कम से कम 30 दिनों एक लिखित सूचना देकर पॉलिसी के किसी भी वर्षगांठ पर बंद किया जा सकता है। एक बार बंद हो जाने पर, यह विकल्प दुबारा शुरू नहीं किया जा सकता है।
- AAA को STP के साथ नहीं चुना जा सकता है।

#### ग) टॉप-अप किस्त:

- आपको पास पॉलिसी की अवधि के दौरान किसी भी समय टॉप-अप के माध्यम से अतिरिक्त एकमूल निवेश करने का विकल्प है, बशर्ते सभी देय किस्तों का भुगतान किया गया हो। टॉप-अप किस्त का आश्वस्त रकम भुगतान की गई टॉप-अप किस्त का 1.25 गुना होगा।
- न्यूनतम टॉप-अप किस्त ₹5000 है।
- आखरी 5 पॉलिसी वर्षों में टॉप-अप करने की अनुमति नहीं है।
- अनुवंध जारी रहने के दौरान किसी भी समय भुगतान की गई कुल टॉप-अप किस्त की रकम उस समय तक भुगतान की गई कुल नियमित किस्तों की रकम से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- प्रत्येक टॉप-अप किस्त के आवंटन की तिथि से लगातार पांच वर्षों की एक "लोक-इन-अवधि" होगी। इस लोक इन अवधि के दौरान किसी भी आंशिक रकम निकालने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, टॉप-अप किस्त से संबंधित इकाइयों के संबंध में भुगतान केवल तभी किया जाएगा, जब पॉलिसी निम्न के कारण समाप्त होगी:

- पॉलिसी की शुरूआत की तिथि से पहले पांच वर्षों की लोक इन अवधि के बाद पॉलिसी को पूँजी रूप से वापस ले लेना, या

- बीमित व्यक्ति की मृत्यु।

#### घ) इकाई रिचर्च:

- यह विकल्प आपकी बदलती आवश्यकताओं/प्राथमिकताओं के अनुसार आपको विभिन्न फंड में मौजूद अपने निवेशों को समायोजित करने में सहायता करता है। आप पॉलिसी की अवधि के दौरान किसी भी समय अपने संबंधित राशि को 7 फंड के मध्य रिचर्च कर सकते हैं।
- आंशिक रिचर्च के मामते में, रिचर्च की न्यूनतम रकम और रिचर्च के बाद फंड में शेष रकम ₹5000 होनी चाहिए।
- एक पॉलिसी वर्ष में पहले बारह इकाइयों की रिचर्चिंग निःशुल्क होगी।
- उसके बाद रिचर्चिंग करने पर, अंतरित रकम का 0.50% शुल्क लगेगा, जो ज्यादा से ज्यादा ₹500 होगा।

#### ड) किस्तों का पुनःनिर्देशन:

- यह विकल्प आपकी बदलती आवश्यकताओं/प्राथमिकताओं के अनुसार आपके भावी किस्तों का विभिन्न फंड्स में आवंटन संबंधित करने में सहायता करता है। आपके पास अपनी किस्तों को एक पॉलिसी वर्ष में 2 बार तक किसी भी समय अपने फंड्स में पुँजी आवंटित करने का विकल्प है। उपरोक्त न किए गए विकल्पों को आगामी वर्ष में नहीं ले जाया जा सकता है और एक पॉलिसी वर्ष में 2 बार पुनः आवंटित करने की सीमा है।
- प्रत्येक रिचर्चिंग फंड में कम से कम 10% न्यूनतम आवंटन होना चाहिए।

#### च) सेटलमेंट किल्प:

- यह विकल्प आपको मैचुरिटी के बाद भी फंड में अपना निवेश बनाए रखने की अनुमति देता है और 1 से 5 वर्षों की अवधि के बीच यह क्रमबद्ध तीक्ष्ण से प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। इस विकल्प को मैचुरिटी से पुँजी लिखित सूचना देकर केवल तभी चुना जा सकता है।
- यह विकल्प चुनने की अनुमति केवल तभी दी जाएगी यदि आपने सभी देय नियमित किस्तों का भुगतान किया है।
- भुगतान के विकल्प हैं: चेक/डायरेक्ट लेविट या इसीएस (मासिक और तिमासिक आवृत्ति के लिए अनिवार्य) के माध्यम से मासिक, तिमासिक, अर्ध-वार्षिक या वार्षिक आधार पर रिटर्न इकाई प्रति भुगतान या रिटर्न रकम प्रति भुगतान।
- आपको मैचुरिटी लाभ के न्यूनतम 25% के अधीन समानुपात बताना होगा, जो आप इस सेटलमेंट विकल्प के माध्यम से संबंधित भुगतान के रूप में पाने की आशा करते हैं।
- भुगतान अवधि के दौरान आंशिक रकम निकालने और इकाई की रिचर्चिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- इन सभी रकमों का भुगतान बकाया धन के रूप में किया जाएगा और सेटलमेंट अवधि के दौरान कोई जोखिम करव नहीं होगा। मृत्यु लाभ की रकम शेष फंड मूल्य के समान होगी।

- सेटलमेंट विकल्प अवधि के दौरान, यदि किसी भी समय फंड मूल्य पहले साल की वार्षिक नियमित किस्त से कम हो जाती है, तो पॉलिसी धारक तत्काल फंड मूल्य अदा की जाएगी और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।
- भुगतान की अवधि के दौरान फंड प्रबंधन शुल्क के अलावा कोई अन्य शुल्क लागू नहीं होगा।
- सेटलमेंट विकल्प अवधि के दौरान, निवेश के सभी जोखिम आपके द्वारा वहन होते रहेंगे।
- सेटलमेंट अवधि के दौरान किसी भी समय कोई शुल्क लागू किए बिना सम्पूर्ण वापरी की अनुमति होगी।

### अवीवा यंग स्कॉलर एडवांटेज – शुल्क

#### 1. किस्त आवंटन शुल्क:

**नियमित किस्त:** किस्त से इस शुल्क की कटौती की जाती है और शुल्क की कटौती के बाद शेष रकम को आवंटन दर के अनुसार निवेश किया जाता है, जो निम्न विवरण अनुसार पॉलिसी वर्ष और वार्षिकत नियमित किस्त पर निभर करेगा:

| पॉलिसी वर्ष | वार्षिक किस्त का % |
|-------------|--------------------|
| 1           | 9%                 |
| 2           | 7%                 |
| 3           | 6%                 |
| 4           | 6%                 |
| 5           | 6%                 |
| 6-10        | 6%                 |
| 11+         | 3%                 |

टॉप–अप किस्त: किस्त आवंटन शुल्क टॉप–अप किस्त का 2% रकम होगा।

- 2. **फंड प्रबंधन शुल्क (एफएमसी):** डिस्काउन्यूड पॉलिसी फंड के अलावा सभी फंड्स के लिए 1.35% प्रति वर्ष की एफएमसी लागू होगी। डिस्काउन्यूड पॉलिसी फंड के मामले में एफएमसी 0.50% प्रति वर्ष होगी या आईआरडीएआई द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार होगी। प्रत्येक फंड के लिए दैनिक आधार पर एएसी की गणना की जाएगी।
- 3. **पॉलिसी प्रशासन शुल्क (पीएसी):** पॉलिसी के इकाइयों के खाते से इकाइयों के मासिक पुनरालिपि द्वारा यह शुल्क लिया जाएगा।

| पॉलिसी वर्ष | प्रति माह पीएसी         |
|-------------|-------------------------|
| 1           | शून्य                   |
| 2 से 5      | वार्षिकत किस्त का 0.02% |
| 6+          | वार्षिकत किस्त का 0.02% |

पॉलिसी प्रशासन शुल्क की अधिकतम रकम ₹400 प्रति माह तक सीमित है।

- 4. **मृत्यु शुल्क:** यह इकाई खाते से इकाइयों के मासिक रद्दीकरण द्वारा जोखिमी रकम (SAR) पर लागू होती है। यदि मैत्रियी की तिथि तक भविष्य के किस्तों का कोई अतिरिक्त रकम देय हो, तो जोखिमी रकम को आव्वर्त्त रकम जोड़ टॉप–अप आश्वर्त रकम के रूप में परिभासित किया जाता है। स्वस्थ्य पुष्ट बीमित व्यक्ति SAR के प्रति हजार रुपयों के लिए वार्षिक शुल्कों का नमूना:

| 25     | 30     | 35     | 40     | 45     |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0.7910 | 0.8556 | 1.0560 | 1.5046 | 2.4282 |

उपरोक्त मृत्यु शुल्क के अतिरिक्त इन–बिल्ट दुर्घटनात्मक मृत्यु लाभ, यदि लागू हो, के लिए मृत्यु आश्वर्त रकम के प्रति 1000 रुपयों के लिए ₹ 0.60 का शुल्क लिया जाएगा।

#### 5. विरति शुल्क:

| जहाँ पॉलिसी वर्ष के दौरान पॉलिसी डिस्काउन्यू की गई है | ₹50000 से अधिक की वार्षिकृत किस्त वाली पॉलिसियों के लिए विरति शुल्क |
|---|---|
| 1   | अधिकतम ₹6000 के अधीन, (एपी या फंड मूल्य) के 6% रकम में से जो कम हो  |
| 2   | अधिकतम ₹5000 के अधीन, (एपी या फंड मूल्य) के 4% रकम में से जो कम हो  |
| 3   | अधिकतम ₹4000 के अधीन, (एपी या फंड मूल्य) के 3% रकम में से जो कम हो  |
| 4   | अधिकतम ₹2000 के अधीन, (एपी या फंड मूल्य) के 2% रकम में से जो कम हो  |
| 5 और इसके बाद से                                      | शून्य   |

टॉप–अप किस्त, यदि हो, से संबंधित फंड मूल्य पर कोई विरति शुल्क नहीं होगा।

#### 6. स्विचिंग शुल्क:

एक पॉलिसी वर्ष के भीतर पहली 12 स्विचिंग निःशुल्क है; उसके बाद स्विचिंग करने पर, स्विचिंग रकम का 0.50% शुल्क लगेगा, जो प्रति स्विच अधिकतम ₹500 होगा।

#### 7. मिश्रित शुल्क:

करों में वर्तु एवं सेवा कर, उपकर शामिल है तोकिन इन तक सीमित नहीं है और सरकार द्वारा समय–समय पर प्राप्त सूचना के अनुसार ये प्रयोज्य कर लागू किए जाएंगे। कर की विधियां परिवर्तन के अधीन हैं।

#### अपवाद:

पॉलिसी के शुरुआत की तिथि या पॉलिसी के रिवाइवल की तिथि से 12 महीनों के अंतर्गत आमंत्रण के कारण मृत्यु होने के मामले में, बीमित व्यक्ति का नामांकित व्यक्ति या लाभार्थी मृत्यु की तिथि को उपलब्ध फंड मूल्य पाने का अधिकारी होगा।

नामांकित व्यक्ति या लाभार्थी को मृत्यु लाभ समेत मृत्यु की तिथि के बाद वसूला गया कोई शुल्क वापस लौटाया जाएगा। उक्त फंड मूल्य का भुगतान करने के लिए पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

गैर–दुर्घटनात्मक मृत्यु पर ऊपर उल्लिखित आत्महत्या दावा प्रावधान के अलावा कोई अन्य अपवाद नहीं है।

पॉलिसी की अवधि के दौरान दुर्घटनात्मक मृत्यु के कारण अतिरिक्त लाभ देय नहीं होगा यदि बीमित व्यक्ति की दुर्घटनात्मक मृत्यु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निम्न द्वारा हुई हो:

- शराब या दावाओं का दुरुपयोग जिसमें एक चिकित्सीय अभ्यासकर्ता द्वारा लिखी गई दावाओं के अलावा अन्य दावा लेना शामिल है, बीमित व्यक्ति द्वारा कोई अपराध कार्य करने, खेच्छा से खुद को चोट पहुँचाना, आमंत्रहत्या करना या इसकी कोशिश करना, चिकित्सीय सलाह न अपेक्षा और न मानना।
- किसी दुर्घटना के तुरंत बाद एक पंजीकृत और योग्य चिकित्सीय अभ्यासकर्ता द्वारा बताया गया उपचार और सलाह न करना या न मानना। यहाँ शब्द “तुरंत” का यह अर्थ नहीं है कि कोई दुर्घटना होने के मामले में बीमित व्यक्ति तुरंत किसी चिकित्सीय अभ्यासकर्ता के पास जाए, लेकिन जान कर भी उपचार से परेहज़न न करे।
- वाणिज्यिक अनुज्ञा प्राप्त यात्री विमान में एक यात्री के अलावा अन्य रूप में यात्रा करना।
- खेलों और तैराकी के अलावा आया प्रकार के रेसिंग में शामिल होना।
- किसी भी प्रकार का युद्ध, आक्रमण, शत्रुता (याहे युद्ध घोषित हो या न हो), नागरिक युद्ध, विद्रोह, दंगे, सामाजिक अराजकता, बगावत, सैर्च या हथियाई गई ताकत, या हिस्सा के कृत्यों में खेच्छा से भाग लेना।
- एक न्यूकिलर दुर्घटना के कारण रेडियोएक्टिव संदूषण होना।
- खतरनाक खेलों या शैक में भाग लेना या जिसमें प्रेरणात्मिक, पॉल्टोलिंग, पहाड़ पर चढ़ाई करना, और हॉट एयर बैलून में सवार होना शामिल है (किन्तु इन तक सीमित नहीं है)।
- कोई ऐसी शिक्षित, बीमारी या चोट या सर्वधित स्थितियों के रूप में परिवर्तित किया गया है, जिसके लिए बीमा कंपनी द्वारा पॉलिसी जारी करने या बदाल करने से पूर्व 48 महीनों के अंतर्गत संकेत या लक्षण दिखा था और/या निदान हुआ था, और/या चिकित्सीय सलाह/उपचार प्रिया था।

एक चिकित्सीय अभ्यासकर्ता वायक्ति है जो भारत के किसी भी राज्य के आयुर्विज्ञान परिषद् या भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् या भारत सरकार द्वारा सरण्यापित भारतीय होमियोपथी औषधी परिषद् में विविधान्य रूप से पंजीकृत है और एतद्वारा अपने क्षेत्राधिकार के तहत मेडिसिन प्रैविटेस करने का अधिकारी है, और वह अपने अनुज्ञा पत्र के स्वाक्षर और क्षेत्राधिकार के अंतर्गत काम कर रहा है। चिकित्सीय अभ्यासकर्ताओं में निम्न व्यक्ति शामिल नहीं होंगे:

- i. आपके पति / पत्नी, पिता (सौतेले पिता समेत) या माता (सौतेली माता समेत), बेटा (सौतेला बेटा समेत), बहु, बेटे (सौतेली बेटी समेत), दामाद, भाई (सौतेली बहन समेत) या
- ii. आप या वीमित व्यक्ति।

### फ्रीलूक अवधि

पॉलिसी दस्तावेजों की प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर पॉलिसी के नियमों एवं शर्तों की समीक्षा करने का अधिकार। यदि पॉलिसी दूरस्थ विपणन के माध्यम से बेंची गई है, तो फ्रीलूक अवधि 30 दिनों की होगी।

यदि आप उनमें से किसी भी नियमों और शर्तों से असहमत हैं, तो आपके पास अपनी आपति का कारण दर्शाते हुए पॉलिसी वापस करने का विकल्प है। आपको पॉलिसी रद्द करने की तिथि को फंड मूल्य सहित अनावैटेट किरत (आवंटन शुल्क) सहित इकाइयों के रद्दीकरण के कारण काटा गया कोई शुल्क घटाव करव करव की गई अवधि के लिए समानुवाती जोखिम शुल्क घटाव चिकित्सीय जांचों पर वहन की गई खर्च, यदि हो तो, और स्टाम्प ड्यूटी शुल्क वापस पाने का अधिकार होगा।

**पॉलिसी की नियम और शर्तें हमारे वेबसाइट: [www.avivaindia.com](http://www.avivaindia.com) पर उपलब्ध है।**

### अप्रकटन

- अवीवा जीवन बीमा कंपनी इंडिया लिमिटेड बीमा कंपनी का नाम मात्र है और अवीवा ऐप्लाइंस कोइँ से जुड़ी जीवन बीमा अनुबंध का नाम मात्र है और यह किसी भी तरह से अनुबंध की गुणवत्ता, भविष्य में इसकी समावना और रिटर्न्स नहीं दर्शाता है।
- इस अनुबंध के अधीन प्रस्तुत की गई विभिन्न फंड, कोई प्रकार के फंड्स के नाम मात्र हैं और यह किसी भी तरह से इन योजनाओं की गुणवत्ता, भविष्य में इसकी समावना और रिटर्न्स नहीं दर्शाता है।
- कृपया बीमा एजेंट या मध्यस्थी या पॉलिसी के दस्तावेजों या बीमा कंपनी से संबंधित जोखिमों और प्रयोज्य शुल्कों के बारे में जानकारी प्राप्त करें।

### जोखिम के कारण:

- इकाइ से जुड़ी जीवन बीमा उत्पाद पारंपरिक बीमा उत्पादों से अलग है और यह जोखिम कारों के अधीन है।
- इकाइ से जुड़ी जीवन बीमा पॉलिसी में भुगतान की गई किरत पूंजीगत बाजार से जुड़ी निवेश जोखिमों के अधीन है और फंड के प्रदर्शन और पूंजीगत बाजार को प्रभावित करते कारणों के आधार पर इकाइ के एनपी में उत्तर-चढ़ाव हो सकता है। वीमित व्यक्ति / पॉलिसी धारक अपने फैसले के लिए खुद जिम्मेदार है।
- इकाइ से जुड़ी फंड्स बाजार के जोखिमों के अधीन है और इसका कोई आश्वासन या गारंटी नहीं है कि निवेश फंड्स का उद्देश्य पूरा होगा।
- निवेश फंड्स के गत प्रदर्शन से भविष्य के प्रदर्शन में कोई सहायता नहीं मिलती है। इस योजना में निवेशकों को गारंटी/आश्वस्त रिटर्न्स पेश नहीं किया जा रहा है।

### धारा 41

समय—समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 41 के उपबंध लागू होंगे:

मौजूदा उपबंधों के अनुसार:

(1) कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिमों के संबंध में एक बीमा लेने या रिवाइब करने या जारी रखने के लिए, देय कमीशन में सम्पूर्ण या आशिक छूट या पॉलिसी पर प्रदर्शित किस्तों में कोई छूट देने के लिए प्रलभन के रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अनुमति नहीं देगा या अनुमति देने का प्रत्यक्ष नहीं देगा, और न ही पॉलिसी लेने या रिवाइब करने या जारी रखने वाले कोई व्यक्ति ऐसी छूट को स्वीकार करेगा, केवल उन छूटों के अलावा जो बीमा कंपनी द्वारा प्रकाशित विवरण पुस्तिकाओं या तालिकाओं में स्वीकार्य हो।

(2) इस धारा के उपबंधों का अनुपालन करने में यदि कोई व्यक्ति कोई छूट करता है तो उस पर दस लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

### धारा 45

अनुबंध पर समय—समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के उपबंध लागू होंगे। मौजूदा उपबंधों के अनुसार, तीन वर्षों के बाद पॉलिसी पर मिथ्या—कथन के आधार पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है।

### अवीवा के बारे में

अवीवा जीवन बीमा कंपनी इंडिया— डाबर इन्वेस्ट कॉर्प और यूके में स्थित एक बिमा कंपनी, अवीवा इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम है, भारत के साथ जिसका सहयोग 1834 से रहा है। अवीवा जीवन बीमा चुन कर, आप विश्व के सबसे पुराने बीमा समूहों

के प्रबंधन अनुभव से लाभ प्राप्त करते हैं, इस क्षेत्र में 1696 से जिसका इतिहास रहा है। आज, अवीवा ग्रूप के 16 देशों में 33 मिलियन ग्राहक हैं (2016)।

### संलग्नक

#### 1. लॉक-इन अवधि

लॉक-इन अवधि का मतलब है पॉलिसी के शुरुआत की तिथि से लगातार पांच वर्षों की अवधि, जिसके दौरान कंपनी वीमित व्यक्ति के मृत्यु के अलावा किसी अन्य मामले में पॉलिसी धारक या वीमित व्यक्ति, जैसा मामला हो, को डिस्कंटन्यूड पॉलिसियों के लाभों का भुगतान नहीं कर सकती है।

#### 2. नाबालिंग बच्वों के जीवन के लिए कवर:

यदि पॉलिसी की शुरुआत की तिथि को जीवन वीमित व्यक्ति एक नाबालिंग है, तो

- वह पॉलिसी धारक किसी का मुआवान करेगा जो वीमित व्यक्ति का माता/पिता या दादा/दादी या कानूनी अभिभावक हो। किसी के भुगतान की अवधि पूर्ण होने से पहले पॉलिसी की मृत्यु की घटना में वीमित व्यक्ति के जीवित माता/पिता/कानूनी अभिभावक द्वारा भविष्य के किस्तों का भुगतान किया जाएगा। यदि वीमित व्यक्ति एक नाबालिंग है और यदि वीमित व्यक्ति के किस्तों का भुगतान नहीं किया जाता है, तो विरति प्रावधान लागू होगा।
- पॉलिसी धारक के मृत्यु के घटना में, जहां वीमित व्यक्ति एक नाबालिंग है, वहां कंपनी द्वारा मांगे गए आवश्यक अवेदन और समर्थनकारी दस्तावेज जमा करने पर पॉलिसी वीमित व्यक्ति के माता/पिता/कानूनी अभिभावक में निहित होगी।
- वीमित व्यक्ति के 18 वर्ष पूर्ण हो जाने पर पॉलिसी स्वचालित रूप से वीमित व्यक्ति में निहित होगी।
- पॉलिसी के शुरुआत की तिथि से तत्काल जोखिम भी आरम्भ हो जाएगा।

#### 3. प्री लुक अवधि:

पॉलिसी दस्तावेजों की प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर पॉलिसी के नियमों एवं शर्तों की समीक्षा करने का अधिकार। यदि पॉलिसी वॉइस साधन (जिसके टेलीफोन कॉल शामिल है), लघु संदेश सेवा (एसएमएस), इलेक्ट्रॉनिक साधन (जिसमें ई-मेल, इंटरनेट और इंटरविव टेलीविजन (डीटीएच) शामिल है), भौतिक साधन (जिसमें प्रत्यक्ष डाक चिठ्ठी, आखबारों और पत्रिकाओं के साथ(i))ने वाले विज्ञापन शामिल हैं), और व्यक्तिगत रूप से अनुरोध करने के अलावा संवाद के किसी भी अन्य साधनों से अनुरोध के माध्यम से बेंची गई है, तो फ्री लुक अवधि 30 दिनों की होगी।

यदि आप उनमें से किसी भी नियमों और शर्तों से असहमत हैं, तो आपके पास अपनी आपति का कारण दर्शाते हुए पॉलिसी वापस करने का विकल्प है। आपको पॉलिसी रद्द करने की तिथि को फंड मूल्य सहित अनावैटेट किरत (आवंटन शुल्क) सहित इकाइयों के रद्दीकरण के काटा गया कोई शुल्क घटाव करव की गई अवधि के लिए समानुवाती जोखिम शुल्क घटाव चिकित्सीय जांचों पर वहन की गई खर्च, यदि हो तो, और स्टाम्प ड्यूटी शुल्क वापस पाने का अधिकार होगा।

पॉलिसी की नियम और शर्तें हमारे वेबसाइट: [www.avivaindia.com](http://www.avivaindia.com) पर उपलब्ध है।

#### 4. छूट की अवधि: किस्तों का भुगतान करने के लिए 30 दिनों की छूट की अवधि होती है।

#### 5. पॉलिसी में विरति:

“विरति” का मतलब है पॉलिसी का समर्पण करने या इस भाग में परिमापित सूचना अवधि समाप्त होने से पहले देय अनुबंधित किस्तों का भुगतान न करने पर पॉलिसी की प्रस्तुत होने वाली स्थिति।

“पॉलिसी के विरति की तिथि” वह तिथि होगा जिस दिन कंपनी को पॉलिसी धारक से पॉलिसी समाप्त के बारे में या पॉलिसी का समर्पण करने के बारे में सूचना मिलेगी या सूचना अवधि समाप्त होगी, जो भी शीघ्र हो।

“डिस्कंटन्यूड पॉलिसी का फंड” का अर्थ है कंपनी की पृथक नियिंगों जिसे अलग से रखा गया है और जिसमें सभी डिस्कंटन्यूड पॉलिसियों का प्रचलित विनियमों के अनुसार नियंत्रित फंड मूल्य शामिल है। डिस्कंटन्यूड पॉलिसी फंड के निवेश की संरचना इस दस्तावेज के निवेश विकल्प भाग में उल्लिखित है।

“डिस्कंटन्यूड पॉलिसी से लाभ” का अर्थ है डिस्कंटन्यूड पॉलिसी फंड का फंड मूल्य जो मृत्यु / रिवाइबल / समर्पण (जैसा लागू हो) पर देय है।

लॉक-इन अवधि के दौरान पॉलिसी में विरति

जहां छूट की अवधि समाप्त होने से पहले देय अनुबंधित किस्त का भुगतान नहीं किया गया है, कंपनी छूट की अवधि समाप्त होने की तिथि से 15 दिनों की अवधि के अंतर्गत पॉलिसी धारक को ऐसी सूचना मिलने से 30 दिनों की अवधि के अंतर्गत निम्न में से एक विकल्प चुनने के लिए एक सूचना भेजेगी:

- . दो वर्षों की अवधि के भीतर पॉलिसी को रिवाइब करना; या
- . किसी जोखिम कवर के बिना पॉलिसी को पूर्ण रूप से वापस ले लेना।

जब तक पॉलिसी धारक अपना विकल्प नहीं चुन लेता या 30 दिनों की सूचना अवधि समाप्त

होने तक, जो भी जल्दी हो, पॉलिसी का फंड मूल्य चुने गए पृथक फंड का भाग होगा। इस अवधि के दौरान, पॉलिसी को पॉलिसी के नियमों एवं शर्तों के अनुसार सम्पूर्ण जोखिम कवर के साथ प्रभाव में समझा जाएगा।

यदि पॉलिसी धारक पॉलिसी को रिवाइब करने का उपरोक्त विकल्प (i) चुनता है, और पॉलिसी रिवाइब हो जाती है, तो जोखिम कवर को रिवाइब की तिथि से रिस्टोर किया जाएगा। रिवाइब के समय, कंपनी:

i. पॉलिसी रुकने की तिथि को पॉलिसी धारक द्वारा चुने गए समानुपात में रिवाइब की तिथि के एनएची पर पृथक फंड को इकाई आवंटित करने के लिए डिस्कंटिन्यूड पॉलिसी इकाइयों के आयों का उपयोग करेगी।

ii. बिना कोई व्याज या शुल्क लागू कर सभी बकाया और अदत्त किस्त एकत्रित करेगी।

iii. विरति अवधि के दौरान पॉलिसी प्रशासन शुल्क और किस्त आवंटन शुल्क, जैसा लागू हो, लागू करेगी। कोई अन्य शुल्क लागू नहीं किया जाएगा।

iv. पृथक फंड में पॉलिसी में विरति के समय काटा गया विरति शुल्क पुनः जोड़ा होगा और पॉलिसी धारक द्वारा पॉलिसी में विरति की तिथि को चुने गए समान समानुपात में पृथक फंड में ऐसी रिवाइब की तिथि को इस रकम का उपयोग एनएची पर इकाइयों के आवंटन के लिए किया जाएगा।

यदि पॉलिसी धारक पॉलिसी रिवाइब करने का उपरोक्त विकल्प (i) चुनता है तो लेकिन अब तक पॉलिसी रिवाइब नहीं हुई है, तो पॉलिसी रिवाइब होने तक, जो पहले हो, रिवाइब अवधि समाप्त होने तक फंड डिस्कंटिन्यूड पॉलिसी के फंड में ही रहेगा। यदि रिवाइब के दो वर्षों की अवधि के दौरान पॉलिसी रिवाइब नहीं होती है, तो रिवाइब अवधि या लॉक-इन अवधि, जो भी वाद में हो, समाप्त हो जाने के बाद पॉलिसी धारक को डिस्कंटिन्यूड पॉलिसी से प्राप्त आयों का भुगतान किया जाएगा। हालांकि, यदि लॉक-इन अवधि रिवाइब के अवधि से पहले समाप्त हो जाती है, तो पॉलिसी धारक को डिस्कंटिन्यूड पॉलिसी से लाभ प्राप्त करने के लिए निवेदन करना का विकल्प होगा, जो पॉलिसी धारक को तत्काल प्रदान किया जाएगा, और इसके साथ पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

यदि पॉलिसी धारक 30 दिनों की सूचना अवधि के भीतर पॉलिसी सम्पूर्ण वापसी का उपरोक्त विकल्प (ii) चुनता है या उपरोक्त में से कोई भी विकल्प नहीं चुनता है, तो यह समझा जाएगा कि पॉलिसी धारक ने किसी जोखिम कवर के बिना सम्पूर्ण वापसी का विकल्प चुना है और पॉलिसी के समाप्त समझा जाएगा। पॉलिसी रुकने की तिथि पर लागू विरति शुरू करने के बाद पॉलिसी का फंड मूल्य डिस्कंटिन्यूड पॉलिसी फंड में डिलवा दी जाएगी। कंवल लॉक-इन अवधि समाप्त होने पर ही डिस्कंटिन्यूड पॉलिसी से प्राप्त लाभ वापस किया जाएगा। डिस्कंटिन्यूड पॉलिसी फंड पर लागू व्याज की तत्कालिक न्यूनतम गारंटीड दर 4% प्रति वर्ष होगा।

#### लॉक-इन अवधि के बाद विरति

जहाँ छूट की अवधि समाप्त होने से पहले देय अनुबंधिक किस्त का भुगतान नहीं किया गया है, कंपनी छूट की अवधि समाप्त होने की तिथि से 15 दिनों की अवधि के अंतर्गत पॉलिसी धारक को ऐसी सूचना मिलने से 30 दिनों की अवधि के अंतर्गत निम्न में से एक विकल्प चुनने के लिए एक सूचना भेजेगी:

i. दो वर्षों की अवधि के भीतर पॉलिसी को रिवाइब करना; या

ii. किसी जोखिम कवर के बिना पॉलिसी को पूर्ण रूप से वापस ले लेना, या

iii. पॉलिसी को प्रदत्त पॉलिसी में परिवर्तित करना, जहाँ प्रदत्त आश्वरत रकम आश्वरत रकम गुणान भुगतान की गई किस्तों का कुल संख्या विभाजन देय किस्तों की संख्या होगी।

यदि पॉलिसी धारक पॉलिसी को प्रदत्त पॉलिसी में परिवर्तित करने का विकल्प चुनता है, तो बीमित व्यक्ति के मृत्यु पर मिलने वाला लाभ वह होगा जो निम्नलिखित में से सबसे अधिक हो:

क) प्रदत्त आश्वरत रकम, या

ख) फंड मूल्य, या

ग) भुगतान की गई कुल किस्तों का 105%

यदि पॉलिसी में टॉप-अप किस्तों का भुगतान किया गया था, तो टॉप-अप आश्वरत रकम या टॉप-अप के संबंध में फंड मूल्य या भुगतान की गई टॉप-अप किस्तों का 105% रकम, तीनों में से जो भी सबसे अधिक हो, का अतिरिक्त भुगतान होगा।

बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में यदि पॉलिसी प्रदत्त स्थिति में है तो भविष्य की किसी भी किस्त का अधित्याग नहीं होगा।

जब तक पॉलिसी धारक अपना विकल्प न चुन ले या 30 दिनों की सूचना अवधि समाप्त होने तक, जो भी जल्दी हो, तब तक सम्पूर्ण जोखिम कवर सहित पॉलिसी का फंड मूल्य चुने गए पृथक फंड का हिस्सा बना रहगा।

#### पॉलिसी धारक उपरोक्त विकल्प (i) चुनता है:

- पॉलिसी धारक पॉलिसी रिवाइब करने का उपरोक्त विकल्प (i) चुन सकता है। ऐसे रिवाइब के समय तक, पॉलिसी सम्पूर्ण जोखिम कवर के साथ बनी रहेगी और सभी शुल्क कटते रहेंगे। रिवाइब के समय, कंपनी कोई व्याज या शुल्क लिए बिना किसी बकाया और अदत्त किस्त एकत्रित करेगी।
- यदि सूचना अवधि समाप्त होने से 2 वर्षों के भीतर पॉलिसी रिवाइब नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी धारक उपरोक्त विकल्प (ii) के समान प्रदत्त पॉलिसी का समर्पण करने, या उपरोक्त विकल्प (iii) के समान प्रदत्त पॉलिसी के रूप में पॉलिसी जारी रखने का विकल्प चुन सकता है। यदि पॉलिसी 2 वर्षों की रिवाइब अवधि समाप्त होने पर धारक इनमें से कोई भी विकल्प नहीं चुनता है, तो यह समझा जाएगा कि पॉलिसी धारक में समर्पण का विकल्प चुना है और रिवाइब के समाप्त होने की तिथि का फंड मूल्य भुगतान किया जाएगा और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

#### पॉलिसी धारक उपरोक्त विकल्प (ii) चुनता है:

- यदि पॉलिसी धारक 30 दिनों की सूचना अवधि के भीतर उपरोक्त विकल्प (ii) चुनता है या उपरोक्त में से कोई भी विकल्प नहीं चुनता है, तो यह समझा जाएगा कि पॉलिसी धारक ने पॉलिसी सम्पूर्ण रूप से वापस लेने का विकल्प चुना है और कंपनी पॉलिसी धारक को सूचना अवधि समाप्त होने की तिथि का फंड मूल्य प्रदान करेगी, और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

#### पॉलिसी धारक उपरोक्त विकल्प (iii) चुनता है:

- पॉलिसी धारक उपरोक्त विकल्प (iii) चुन सकता है जिसके तहत वह प्रदत्त पॉलिसी के रूप में पॉलिसी जारी रख सकता है। भुगतान की गई किस्तों की संख्या समानुपात पॉलिसी के तहत देय किस्तों की संख्या के अनुसार आश्वरत रकम में कटौती की जाएगी।
- दूर्घटनात्मक मृत्यु के मामले में आश्वरत रकम घटाई गई बेस आश्वरत रकम के समान होगी और जो अधिकतम ₹ 50 लाख हो सकती है।
- घटाई गई आश्वरत रकम के अनुसार मृत्यु शुल्क लागू होगा। बाकी के अन्य सभी शुल्क पूरी तरह से काटे जाते रहेंगे।
- पॉलिसी धारक अब भी पॉलिसी रिवाइब कर सकता है बशर्ते सूचना अवधि की समाप्ति की तिथि से 2 वर्षों की रिवाइब अवधि समाप्त न हुई हो। रिवाइब के समय, कंपनी कोई व्याज या शुल्क लिए बिना सभी बकाया शुल्क समेत सभी बकाया और अदत्त किस्त एकत्रित करेगी और मूल रकम रिस्ट्रोर हो जाएगा।
- कुल संपत्ति मूल्य (एनएची) की गणना: समय-समय पर जारी किए गए आईआरडीएआई के दिवास-निदेशों के अनुसार एनएची की गणना दैनिक आधार पर किया जाएगा। आईआरडीएआई की मौजूदा दिवास-निदेशों के अनुसार, फंड के एनएची की गणना निम्न अनुसार की जाएगी:

  - फंड द्वारा धारित निवेदन का विपणन मूल्य + वर्तमान परिसंपत्ति का मूल्य - वर्तमान देयताओं और प्रावधानों, यदि हो तो का मूल्य
  - मूलतःनकं की तिथि को मौजूद इकाइयों की संख्या (इकाइयों के निर्माण/पुनः प्राप्ति से पहले)

- पॉलिसी शुरू होने की तिथि की एनएची के आधार पर पहली किस्त आवंटित की जाएगी।
- नियत तिथि पर किस्तों का समायोजन किया जाएगा फिर चाहे यह पेशेवरी के तीर पर ही मिला हो। इसके अलावा, अवीवा पॉलिसी की सारणी के कथित निर्दिष्ट नियमित देय किस्त से कम रकम स्वीकार नहीं करेगा।
- कट-ऑफ समय से ट्रांसेक्सन अनुरोध (जिसमें बदलाव, वापसी, समर्पण और स्थानीय चेक, डिमार्ड ड्रापर्ट, रिचेस इलायडे के माध्यम से किस्तों का नवीनीकरण शामिल है), को उसी दिन के एनएची में शामिल किया जाएगा और कट-ऑफ समय के बाद प्राप्त ट्रांसेक्सन अनुरोध को अगले दिन के एनएची में शामिल किया जाएगा। कट-ऑफ समय आईआरडीएआई द्वारा सामय-समय पर जारी दिवास-निदेशों के अनुसार होगा, वर्तमान जो दोपहर के 3:00 बजे है। आउटरटेशन चेक के जरिए प्राप्त किस्तों के लिए, किलर्यरेस तिथि या नियत तिथि, जो भी बाद में हो, लागू होगा।
- अवीवा के तरफ से इस पॉलिसी पर ऋण का कोई प्रावधान नहीं है।
- बोर्ड द्वारा अनुमोदित अंडरराइटिंग आवश्यकताओं और समस्त अदत्त देय किस्तों के भुगतान पर पॉलिसी का रिवाइब होगा।
- बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 38 और 39 के उपबंधों के अधीन समनुदेशन और नामांकन की अनुमति है।
- अवीवा जोखिमों की स्थीकृति और पूरी किस्त मिलने तक किसी भी दावे के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी।

## पूछताछ और शिकायतः

अधिक जानकारी, पूछताछ या शिकायतों के लिए कृपया नीचे दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क करें:

1800 103 7766 (बीएसएनएल / एमटीएनएल उपयोगकर्ताओं के लिए टोल-फ्री) या 0124-2709046 या SMS "Aviva" to 5676737



## डाबर इन्वेस्ट कॉर्प और अवीवा इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड के मध्य एक संयुक्त उद्यम

### अवीवा जीवन बीमा कंपनी इंडिया लिमिटेड

**मुख्य कार्यालयः** अवीवा टावर, सेक्टर रोड, गोल्फ कोर्स के सामने, डीएलएफ फेज-V, सेक्टर 43, गुडगाँव-122 003, हरियाणा, भारत।

फोनः +91 0124 -2709000, फैक्सः +91 0124 -2571210

वेबसाइटः [www.avivaindia.com](http://www.avivaindia.com)

ई-मेलः [customerservices@avivaindia.com](mailto:customerservices@avivaindia.com)

**पंजीकृत कार्यालयः** द्वितीय मंजिल, प्रकाशदीप बिल्डिंग, 7, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110 001, भारत

IRDAI पंजीकरण संख्या : 122

निगम पहचान संख्या (CIN): U66010DL2000PLC107880

फर्जी फोन कॉल और जाली/ठगी के ऑफर्स से सावधानः IRDA की सार्वजनिक घोषणाः

- IRDA या इसके अधिकारी किसी प्रकार के बीमा या फाइनैशियल प्रोडक्ट की बिक्री या फिर प्रीमियम इन्वेस्टमेंट जैसे कार्य नहीं करते हैं। • IRDA किसी बोनस की घोषणा नहीं करता है। ऐसे फोन कॉल आने पर फोन नंबर के साथ कॉल विवरण सहित पुलिस में ज़रूर शिकायत करें।

अवीवा यंग स्कॉलर एडवांटेज, नॉन-पार्टिसिपेटिंग जीवन बीमा योजना है। ऊपर प्रदर्शित ट्रेड लोगो अवीवा ब्रॉण्ड्स लिमिटेड का है और अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड लाइसेंस के तहत इसका उपयोग करती है। कर संबंधी लाभ वर्तमान कानूनों के अनुसार लागू जो बदल सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि मूल आधार दस्तावेज़ अंग्रेजी में है और इसके संदर्भ में आपकी आसानी के लिए स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया है। अनुवाद के कारण उत्पन्न होने वाली विविध व्याख्या के मामले में अंग्रेजी संस्करण हर समय स्थानीय भाषा का अधिग्रहण करेगा। पंजीकृत कार्यालयः द्वितीय मंजिल, प्रकाशदीप भवन, 7, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली – 110 001, फोनः + 91 124 2709000, फैक्सः +91 1242571210, ईमेलः [customerservices@avivaindia.com](mailto:customerservices@avivaindia.com), हेल्पलाइन नं. 1800-180-22-66/ 1800-103-77-66, वेबसाइटः [www.avivaindia.com](http://www.avivaindia.com), CIN: U66010DL2000PLC107880, UIN: 122L085V03, Ver. 1.1/July17, AN: July 18/17.